प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील (वैवाहिक) सं. 115/2022

निर्णय सुरक्षित किया गया : 04.03.2025

निर्णय पारित किया गयाः04.04.2025

1 – श्रीमती. नेहा शर्मा, पति कौशल किशोर शर्मा, 35 वर्ष पिता रामकुमार शर्मा

2 – अवयस्क नवल किशोर शर्मा पिता कौशल किशोर शर्मा, 6 वर्ष, माता नेहा शर्मा, पति कौशल किशोर शर्मा के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, आयु लगभग 35 वर्ष

दोनों अपीलार्थी लाल टंकी रोड, हनुमान मंदिर के पीछे, ब्रज भूषण शर्मा मार्ग, रायगढ़, तहसील तथा जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – कौशल किशोर शर्मा पिता देवीचरण शर्मा, 36 वर्ष, निवासी आईसीआईसीआई बैंक के सामने, जिंदल परिसर, अंगुल, जिलाःअनुगुल, उड़ीसा

---उत्तरवादी

अपीलकर्तागण हेतु :श्री रजत अग्रवाल, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री रवीन्द्र शर्मा, अधिवक्ता

माननीय श्रीमती रजनी दुबे,न्यायाधीश

तथा

माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत

सी ए वी निर्णय

रजनी दुबे न्यायाधीश, के अनुसार

1. वर्तमान अपील अपीलकर्ताओं द्वारा विद्वान पारिवारिक न्यायालय, रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा सिविल एमजेसी संख्या एफ-37/2019 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 11.05.2022 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत बच्चों की अभिरक्षा के लिए उत्तरवादी के आवेदन को स्वीकृति दी गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी संख्या 1 और उत्तरवादी के मध्य विवाह 06.05.2011 को हुआ था और उनके विवाह से, अपीलार्थी संख्या 2 का जन्म 30.12.2013 को हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद, उनके मध्य मतभेद/संघर्ष होने लगे, जिसके कारण अपीलार्थी संख्या 01, अपीलार्थी संख्या 02 को 10.10.2018 को अपने मायके ले गई, तब से वे दोनों उत्तरवादी और उसके परिवार के सदस्यों से पृथक रह रहे हैं।इसके बाद, उत्तरवादी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह-विच्छेद के लिए सिविल एमजेसी संख्या 20/2021 के रूप में विद्वान पारिवारिक न्यायालय, रायगढ़ के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत लंबित भरण-पोषण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया।14 सितम्बर 2021 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें उत्तरवादी को अपीलकर्ताओं को 3,000/- रुपये मासिक खर्च और 5,000/- रुपये मुकदमेबाजी खर्च का भुगतान करने का निर्देश दिया गया तथा तत्पश्चात उत्तरवादी पति के पक्ष में विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित कर दिया गया। तत्पश्चात उत्तरवादी /आवेदक ने हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत अपीलकर्ता संख्या 02 की अभिरक्षा लेने के लिए आवेदन दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और अपीलकर्ता संख्या 2 की अभिरक्षा उत्तरवादी को सौंपने का निर्देश दिया गया है, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश विधि और तथ्यों दोनों के लिहाज से त्रुटिपूर्ण है तथा इसे अपास्त किया जाना चाहिए। आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान पारिवारिक न्यायालय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विफल रहा है।अभिरक्षा के संबंध में आदेश पारित करने से पहले बच्चे के कल्याण का पता लगाना न्यायालय का दायित्व है।विद्वान पारिवारिक न्यायालय अपीलकर्ताओं द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री और साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विफल रहा है, जो दर्शाता है कि अवयस्क अपीलकर्ता संख्या 2 का भविष्य और कल्याण उत्तरवादी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। पारिवारिक न्यायालय ने उचित विवाद्यक को तैयार किए बिना आक्षेपित आदेश पारित करके घोर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवैधानिक कार्य किया है। आक्षेपित आदेश पारित करते समय पारिवारिक न्यायालय यह मूल्यांकन करने में विफल रहा है किअवयस्क का कल्याण उसके उचित पालन–पोषण पर निर्भर करता है जिसमें उचित शिक्षा भी शामिल है जोअवयस्क के जीवन और सभ्य जीवन जीने के अधिकार का एक भाग है।केवल उत्तरवादी की नौकरी के आधार परअवयस्क की अभिरक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरी ओर, विद्वान पारिवारिक न्यायालय के विशेष निर्देश के बाद भी उत्तरवादी अपने बच्चे के भरण–पोषण के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहा है।विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह सुस्थापित है कि बच्चे की अभिरक्षा के प्रकरण में, माता–पिता के अधिकार सर्वोपरि नहीं हैं और यह बच्चे का कल्याण है जो अभिरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोपरि विचार होगा, लेकिन विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने प्रकरण के उक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया है और यहां तक कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा मुलाकात के अधिकार भी प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए, अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए। **शाजिया अमन खान और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य, (2024) 7 एससीसी 564 में रिपोर्ट किए गए और गायत्री बजाज बनाम जितेन भल्ला, (2012) 12 एससीसी 471 में रिपोर्ट** किए गए प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलम्ब लिया है।

4. उत्तरवादी हेतु विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया है तथा उत्तरवादी के पक्ष में उचित आदेश पारित किया है। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार विवाद्यक निर्धारित किए तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात उत्तरवादी पिता के पक्ष में आदेश पारित किया। आक्षेपित आदेश सुयोग्य है तथा इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है।**निमिष एस अग्रवाल बनाम श्रीमती रूही अग्रवाल व अन्य के बीच एफएएम संख्या 18/2019 में पारित इस न्यायालय के दिनांक 11.05.2022 के** निर्णय पर भरोसा किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता संख्या 1 नेहा तथा उत्तरवादी का विवाह 06.05.2011 को हुआ था और उनके विवाह से, अपीलकर्ता संख्या 2 नवल किशोर का जन्म 30.12.2013 को हुआ था। यह भी स्वीकार किया गया तथ्य है कि उत्तरवादी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, अंगुल (उड़ीसा) में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत रहा है। उत्तरवादी पति ने अपने बच्चे/अपीलकर्ता संख्या 2 की अभिरक्षा के लिए अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष इस आधार पर आवेदन दायर किया कि वह और अपीलकर्ता संख्या 1 पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और बच्चे का कल्याण उसके पिता के साथ रहने में है। अपीलकर्ता पत्नी ने विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी पति की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता संख्या 2 कि आयु 5 वर्ष से कम है।उसके ससुराल वालों तथा उत्तरवादी द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, इसलिए वह पृथक रह रही है और अपने पुत्र की उचित देखभाल कर रही है।

7. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने निम्नलिखित 2 विवाद्यक निर्धारित किए:- ----------

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
(1) क्या आवेदक, अपनेअवयस्क पुत्र नवल किशोर शर्मा का स्वयं को संरक्षक नियुक्त कराने और उसकी संरक्षकता प्राप्त करने का अधिकारी है ?	"हां"
(2) सहायता एवं वाद व्यय ?	वादी का वाद कंडिका 30 के अनुसार स्वीकार किया गया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी ने स्वयं तथा साक्षीयों विकास रंजन, राधेश्याम वर्मा, देवीचरण शर्मा, रामलाल रघुवंशी तथा रूपेश कुमार की परीक्षा की तथा सी.पी.सी. के आदेश 18 नियम 4 के अन्तर्गत स्वयं सहित अपने शपथ पत्र भी दाखिल किए, परन्तु साक्षी रामलाल रघुवंशी तथा रूपेश कुमार प्रतिपरीक्षा के लिए विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलकर्ता क्रमांक 1 ने भी स्वयं तथा अपने भाई नीरज शर्मा की परीक्षा की।

9. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने दोनों पक्षों के मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों की सराहना करने के पश्चात उत्तरवादी /पति के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया।विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने पाया कि उत्तरवादी अच्छी कंपनी में काम कर रही है और अपीलकर्ता सं 1 के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह अपने भाई पर निर्भर है।

10. शाजिया अमन खान (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 18, 19, 20, 21 और 22 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:---

"18. मौसमी मोइत्रा गांगुली बनाम जयंत गांगुली मामले में इस न्यायालय ने कहा कि बच्चे की स्थिरता और सुरक्षा बच्चे की प्रतिभा और व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए एक आवश्यक घटक है। इसका सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत किया गया है:

"23. अभिलेख पर मौजूद सामग्री और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर गहन विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान प्रकरण में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को उलटने का कोई आधार नहीं है।अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि बच्चे का कल्याण किसी भी तरह से पिता के हाथों में खतरे में है।हमारी राय में, बच्चे की स्थिरता और सुरक्षा भी बच्चे की प्रतिभा और व्यक्तित्व के

पूर्ण विकास के लिए एक आवश्यक घटक है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता एक शिक्षिका है, जो अब पानीपत के एक स्कूल में कार्यरत है, जहाँ वह कुछ समय पहले चंडीगढ़ से स्थानांतरित हुई थी। इससे पहले वह कलकत्ता के किसी स्कूल (2008) 7 एससीसी 673 में पढ़ाती थी। यह स्वीकार किया जाता है कि, वह अकेली रह रही है।सिवाय उस बहुत ही कम अवधि के जब वह अपीलकर्ता के साथ था, मास्टर सत्यजीत इलाहाबाद में एक अच्छे स्कूल में रह रहा है और पढ़ाई कर रहा है और वहाँ उसके दोस्तों का एक छोटा समूह भी है।इलाहाबाद की तुलना में पानीपत में यह उसके लिए बिल्कुल नया माहौल होगा। [जोर दिया गया]

19. नील रतन कुंडू और अन्य बनाम अभिजीत कुंडू13 में, इस न्यायालय नेअवयस्क बच्चों की हिरासत को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित किया और यह अभिनिर्धारित किया कि बच्चों के कल्याण को देखा जाना चाहिए, न कि पक्षों के अधिकारों को, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है: "नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत :

52. हमारे निर्णय में, एक बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित विधि काफी हद तक स्थापित है और यह है। अवयस्क की अभिरक्षा के रूप में एक कठिन और जटिल प्रश्न का निर्णय करते समय, एक न्यायालय को सुसंगत विधि और उससे उत्पन्न होने वाले अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। परंतु ऐसे मामलों को केवल विधिक प्रावधानों की व्याख्या करके निर्धारित नहीं किया जा सकता है।यह एक मानवीय समस्या है और इसे मानवीय स्पर्श के साथ हल करने की आवश्यकता है। अभिरक्षा के प्रकरण से निराकरण करते समय न्यायालय न तो विधि से बंधा होता है, न ही साक्ष्य के सख्त नियमों या (2008) 9 एससीसी 413 प्रक्रिया से और न ही मिसालों से।नाबालिग के उचित अभिभावक का चयन करते समय, बच्चे के कल्याण और भलाई को सर्वोपरि माना जाना चाहिए।अभिभावक का चयन करते समय, न्यायालय माता-पिता के क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है और उससे अपेक्षा की जाती है, बल्कि वह बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व देने के लिए बाध्य है।परंतु भौतिक सुख-सुविधाओं से परे, नैतिक और नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।वे समान रूप से, या हम कह सकते हैं, और भी अधिक महत्वपूर्ण, आवश्यक और अपरिहार्य विचार हैं। यदिअवयस्क बुद्धिमान वरीयता या निर्णय लेने के लिए पर्याप्त उम्र का है, तो न्यायालय को ऐसी वरीयता पर भी विचार करना चाहिए, हालांकि अंतिम निर्णय न्यायालय के पास होना चाहिए किअवयस्क के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

55. हम अधीनस्थ न्यायालय के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ हैं। इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में माना है कि बच्चों की अभिरक्षा को नियंत्रित करने वाला नियंत्रक विचार बच्चों का कल्याण है न कि उनके माता-पिता का अधिकार।" [जोर दिया गया]

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, न कि व्यक्तिगत विधि और क़ानून।आशीष रंजन बनाम अनुपम टंडन और अन्य 14 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"19. किसी भी व्यक्तिगत विधि के तहत बच्चे की अभिरक्षा से निराकरण करने वाले वैधानिक प्रावधानअवयस्क के कल्याण के लिए अनुकूल क्या है, इस बारे में सर्वोपरि विचार को प्रभावित नहीं कर सकते और न ही करना चाहिए।वास्तव में, इस विषय पर कोई भी क़ानूनअवयस्क के कल्याण के महत्वपूर्ण कारक को अनदेखा, त्याग या मिटा नहीं सकता है।21. इस न्यायालय ने रॉक्सन शर्मा बनाम अरुण शर्मा15 में यह राय व्यक्त की थी कि बच्चा कोई संपत्ति या गेंद नहीं है जिसे इधर-उधर उछाला जाता है। बच्चे का कल्याण ही केंद्र बिंदु है।कंडिका-सं. 18 से सुसंगत पंक्तियाँ नीचे पुन: प्रस्तुत की गई हैं:

"18.....इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती कि जब न्यायालय को अभिरक्षा के परस्पर विरोधी दावों का सामना करना पड़ता है तो माता-पिता के कोई अधिकार नहीं होते जिन्हें लागू किया जाना चाहिए; बच्चा कोई संपत्ति या गेंद नहीं है जिसे माता-पिता इधर-उधर उछालते हैं। केवल बच्चे का कल्याण ही विचार का केंद्र बिंदु है।संसद का यह मानना सही है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे की अभिरक्षा सामान्यतः माता के पास होनी चाहिए तथा इस अपेक्षा से केवल ठोस कारणों से ही विचलन किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. विधि का एक और सिद्धांत जो बच्चे की अभिरक्षा के संदर्भ में स्थापित है, वह है बच्चे की इच्छा, अगर वह सक्षम है। रोहित थम्मन गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के प्रकरण (सुप्रा) का संदर्भ लिया जा सकता है। यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

"18. हमने पहले कहा है कि प्रश्न 'बच्चे की इच्छा/वांछा क्या है' बातचीत के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, लेकिन फिर, यह प्रश्न कि 'बच्चे का सर्वोत्तम हित क्या होगा' सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला प्रकरण है।हालांकि, आक्षेपित निर्णय की सावधानीपूर्वक जांच से ज्ञात होता है कि उक्त प्रश्न को सही ढंग से पहचानने के बाद भी उच्च न्यायालय उक्त बिंदु से भटक गया था और कुछ ऐसे पहलुओं पर विचार करने लगा था जो उक्त उद्देश्य के लिए सुसंगत नहीं थे। हम उक्त टिप्पणी के कारण की व्याख्या करेंगे।"

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गायत्री बजाज (सुप्रा)** प्रकरण में भी कंडिका 14 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

"14. उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 या हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहतअवयस्क बच्चों की अभिरक्षा का आदेश न्यायालय

द्वाराअवयस्क के हित और कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए दिया जाना चाहिए। यह किसी भी माता-पिता का बेहतर अधिकार नहीं है जिसके लिए अभिरक्षा के उनके अधिकार का करते समय न्यायनिर्णयन की आवश्यकता होगी। बच्चे की इच्छा, उचित पालन-पोषण के लिए अनुकूल और उपयुक्त वातावरण की उपलब्धता और संबंधित माता-पिता की बच्चे की देखभाल करने की क्षमता और साधन कुछ ऐसे सुसंगत कारक हैं जिन्हेंअवयस्क की अभिरक्षा के विवाद्यक पर निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जबकि अन्य सभी कारक निस्संदेह सुसंगत हैं,अवयस्क की इच्छा, हित और कल्याण ही निर्णायक और अंतिम विचार है, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अपेक्षित निर्धारण किया जाना चाहिए।"

12. उपरोक्त के आलोक में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता सं 2/बच्चा अब लगभग 12 वर्ष का है और वह 2018 से अपनी माता के साथ रह रहा है। इस न्यायालय ने 04.12.2023 और 04.09.2024 को न्यायमित्र और मध्यस्थ के माध्यम से बच्चे के साथ बातचीत की और बच्चे ने बताया कि वर्तमान में वह उत्तरवादी पति की अभिरक्षा में जाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि दोनों पक्ष लंबे समय से पृथक रह रहे हैं और विवाह-विच्छेद के बाद उन्होंने विवाह भी कर लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रितिका शरण बनाम सुजॉय घोष के मामले में, (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 878 में रिपोर्ट किया, कि एक संतुलन बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी स्थिति में जहां माता-पिता संघर्ष में हैं, बच्चे को सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और बच्चे के सर्वोपरि हित पर विचार करते हुए, हम इस राय पर पहुंचे हैं कि यदि माता बच्चे की अभिरक्षा रखती है तो यह उचित होगा।पिता के साथ रहने के लिए बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष मान्य योग्य नहीं है।इस न्यायालय ने दिनांक 04.12.2023 के आदेश में पहले ही यह टिप्पणी की है कि बच्चे के हितों की सर्वोत्तम पूर्ति तभी होती है जब यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके पालन-पोषण में दोनों पक्षों की उपस्थिति हो और भारतीय समाज दादा-दादी के कोमल स्पर्श को भी अपने दायरे में ले।

14. तदनुसार, अपील को स्वीकार किया जाता है।आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। बच्चे/अपीलकर्ता संख्या 2 की अभिरक्षा अपीलकर्ता पत्नी के पास रहेगी।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम उत्तरवादी पिता को मुलाकात और संपर्क अधिकार प्रदान करने के लिए निम्नानुसार आदेश देते हैं:---

"(i) उत्तरवादी /पिता प्रत्येक शनिवार/रविवार को एक घंटे के लिए तथा मंगलवार और गुरुवार को 5-10 मिनट के लिए उपयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर बच्चे के साथ बातचीत कर सकेंगे।

(ii) उत्तरवादी /पिता और अपीलकर्ता/माता दोनों को आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए स्मार्ट फोन खरीदना होगा, जिससे परस्पर वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिल सके।

(iii) 2 सप्ताह से अधिक की लंबी छुट्टियों/अवकाश के दौरान, बच्चे को 5–10 दिनों की लंबी मुलाकात के लिए पिता के साथ रहने की अनुमति दी जाएगी।माता को उचित सूचना देने के बाद पिता द्वारा अवधि निर्धारित की जाएगी और वह बच्चे को उक्त अवधि के लिए पिता के साथ जाने की अनुमति देगी और माता, यदि चाहे, तो उसके साथ जा सकती है।

(iv) त्यौहारों के दौरान पिता माता के घर या किसी स्वतंत्र स्थान पर बच्चे के साथ शामिल हो सकता है और माता के साथ एक दिन के लिए त्यौहार की छुट्टियाँ बच्चे के साथ बिता सकता है।

(v) चूँकि माता और बच्चा वर्तमान में मुंबई में दूर के स्थान पर रह रहे हैं, इसलिए पता उपलब्ध सेल फोन नंबर के साथ उत्तरवादी को प्रदान किया जाएगा और जब भी सेल फोन नंबर/पता बदला जाएगा, तो उसे उत्तरवादी पिता को प्रदान किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. तदनुसार आज्ञप्ति बनाई जाए।17. इस पर कोई वाद व्यय देय का कोई आदेश नहीं किया गया ।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(सचिन सिंह राजपूत)
न्यायाधीश